

//गोपनीय//

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-रायचूर, उत्तरीप्रदेश

क्रमांक- पु.अ./राय./पिबिआ/मुस/1163/2005,  
प्रति,

दिनांक 04/06/2005

श्री त्रिपुरारी राय  
सहायक संचालक  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय:- रामेश्वर स्टील रूड पॉवर लिमिटेड बैहागुड़ा में घटित घटना पर दैनिक  
भास्कर दिनांक 08.05.05 में प्रकाशित समाचार के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र0/उत्तरीप्रदेश/एस.डी.-6/2005-ए.पी.सी.आर. दिनांक -  
26.05.05

-0-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अद्योक्त करने का कष्ट करें । समाचार  
पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 08.05.05 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "आदिवासियों को  
बैठाया गया गर्म जोड़े पर" के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

उक्त समाचार में प्रकाशित घटनाका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि दिना  
28.04.05 को दिनेश गुप्ता जनरल मैनेजर निर्माणाधीन रामेश्वरम स्टील रूड पॉवर प्लांट  
ग्राम- लड़ी गुम्डा/बैहागुड़ा/धाना घरघोड़ा में सूचना दी गई कि उनसे निर्माणाधीन प्लांट  
में छड़ चोरी करने वाले दो लड़कों को पकड़ कर रखे हैं । इस सूचना पर धाना प्रभारी  
घरघोड़ा ती.एस.पाटली ग्राम- लड़ी गुम्डा बैहारी में गये तथा उनके द्वारा पकड़ कर रखे  
गये दोनों लड़के 11। श्याम शत्रु साहू आठ मनमोहन साहू उम्र- 21 वर्ष, साठ बहिरकैला  
12। सदानंद राठिया आठ तेजराम राठिया उम्र- 27 वर्ष, साठ बहिरकैला से चोरी के  
संबंध में पूछताछ किये । वे किसी प्रकार की चोरी करने से इन्कार किये तब धाना प्रभार  
द्वारा उन्हें चोरी के संदेह में उनके विरुद्ध धारा 109 जा0सी0 अन्तर्गत कार्यवाही की गई  
इन दोनों को दूसरे दिन, दिनांक 29/04/2005 को एस.डी.एम. न्यायालय घरघोड़ा में  
पेश किया गया जहाँ पर दोनों को न्यायालय द्वारा जमानत/मुकदमा पर छोड़ा गया ।  
तब वे दोनों अपने गाँव बहिरकैला चले गये ।

*Handwritten notes:*  
17/6/05  
323-11-112PK  
17.6.05

दिनांक 05.05.05 को श्याम जागसाहू तथा सदानंद राठिया बीना प्रमारी धरषोड़ा को बताया कि दिनांक 28.04.05 को वे अपनी मजदूरी का पैसा मांगने कैटरी गरी से सब कैटरी के जनरल मैनेजर दिनेश गुप्ता तथा सेक्युरिटी गार्ड विमल कुंवर उन्हें बांध कर ऑफिस में रहे, तथा दोपहर पूरा में गर्म जोड़े के फ्रीट में उन दोनों को बिठा दिये। तथा मार-पीट किये। एम.एस.सी. रिपोर्ट के बाद थाना धरषोड़ा में श्याम जा साहू की रिपोर्ट पर अप्र० प्र० 59/05द्वारा 342, 294, 323, 34 भा०व०ध० दिनांक 05.05.05 को ही पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में एक मुत्सदर सदानंद राठिया आदिवासी है, तथा आरोपी दिनेश गुप्ता स्वर्ण जाति के हैं, इससे इस प्रकरण में धारा 3 [1] 10 [3] एस.सी./एस.टी.एक्ट जोड़ा गया। दिनांक 07.05.05 को आरोपी दिनेश गुप्ता आ० स्व. ज्वाला प्रसाद गुप्ता उम्र- 50 वर्ष, साकिन- केदारपुर अम्बिकापुर जिला-सरगुजा हाल मुकाम रामेश्वरम स्टील एवं पावर प्लांट कुरुकुट नदी के पास बड़ी गुम्हा थाना- धरषोड़ा एवं विमल कुंवर आ० चमर कुंवर उम्र- 24 वर्ष, साकिन- पतरादोई थाना- जजपुर जिला जजपुर हाल मुकाम रामेश्वरम स्टील एवं पावर प्लांट कुरुकुट नदी के पास बड़ी गुम्हा थाना धरषोड़ा को गिरफ्तार किया गया। जिन्हें दिनांक 08.05.05 को जे.एम.एफ.सी. न्यायालय धरषोड़ा में पेश किया गया। और आरोपी दिनेश गुप्ता को न्यायिक हिरासत में जेल किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया जाना है। पूर्ण होने पर शीघ्र चालान पेश किया जावेगा।

प्रतिवेदन साक्षर अवगतार्थ प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक,  
रायसद, उ०ग०

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कडाधिकारी, रायगढ़, ढ०ग०

-: हापन: -

क्रमांक 5272 । न्या० लि० 105 रायगढ़, दिनांक 22 सितम्बर, 2005.  
प्रति

✓ श्री त्रिपुरारी राय,  
असिस्टेंट डायरेक्टर,  
भारत सरकार,  
राष्ट्रीय अक्षुक्ति जनजाति आयोग,  
पाँचवीं मंजिल, लोकनाथक मकान,  
बान मार्केट, नई दिल्ली - 110003.

विषय:- एडवोसिटी आन दी पेम्बर आफ दी शेड्यूल्ड ट्राइब-  
प्रेस क्लीपिंग फ्राम दैनिक मास्कर न्यूज पेपर दिनांक  
8-5-2005 ।


संदर्भ :- आयोग का पत्र क्रमांक कृषी समूह।एस०टी०-6। 2005।  
एपीसीआन दिनांक 10-8-2005।

कृपया उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अकांकेन  
करने का कष्ट करें।

(2) विषयार्थित के संबंध में सहायक आयुक्त, आदिवासी  
विकास, रायगढ़ (ढ०ग०) से जानकारी प्राप्त की गई। इनसे प्राप्त  
क्रमांक 4121। राहता आजका 105 दिनांक 19-9-05 (फोटो प्रति सलग्न)  
के अनुसार पीड़ित पक्ष श्री सत्यानंद राठिया आ० श्री तेजराम कर्क,  
ग्राम बहिरकेला, थाना फघोड़ा, जिला रायगढ़ (ढ०ग०) को पुलिस  
अधीनकार, रायगढ़ के प्रतिवेदना अनुसार 25,000-00 रु० स्वीकृत किया  
गया है। आह्वान प्रक्रिया पूर्ण का राजि संबंधित को तत्काल धुगतान  
की जावेगी।

तदनुसार वाञ्छित प्रतिवेदन अग्रेतर कार्यवाही हेतु  
सम्प्रेषित है।

सलग्न- उपर्युक्ता अनुसार  
1 पन्ना.

  
जिला कडाधिकारी,  
रायगढ़